...ख ...क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-03-2024	पत्रावली पेश हुई।	

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 11 के वारिस व 12 के वकील उपस्थित । प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का पेश किया गया। दोनो पक्षो के वकीलो की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी संख्या 11 के वारिस व 12 के वकील की बहस है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में तारीख 16.08.2021 को निर्णित किया जाकर डिक्री पारित की गई थी जिस पर अज अदालत द्वारा दिनांक 02.11.2021 को डिकी संशोधित कर विभाजन प्रस्ताव चाहा गया उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो तारीख 04.11.2022 को स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया । तहसीलदार सिवाना द्वारा संशोधित निर्णय डिक्री दिनांक 02.11.2021 की पालना कर जमाबंदी खतौनी में प्रविष्टिया बदल दी गई जो आज रोज कायम है अतः जमाबंदी खतौनी से उक्त प्रविष्टिया को हटाये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई।

लिहाजा प्रतिवादी संख्या 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उन्डेलनगर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 8 रकबा 34–14 बीघा ग्राम सरियादेवी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 519 रकबा 36–07 बीघा ,व खसरा सख्या 504,521 व 522 कुल रकबा 27–01 बीघा व ग्राम मिठौडा तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 1110/412 रकबा 38–13 बीघा व खसरा संख्या 1109/412 रकबा 38–03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 व संशोधित डिक्री दिनांक 02.11.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

वादीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादपत्र में तकनीकी खामी रहने से वाद पत्र जरिये विड्रोल खारिज करवाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 11 के वारिस व 12 के वकील द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन व गंभीरता से मनन किया । पत्रावली वादीगण साक्ष्य में विचाराधीन है व वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिप वाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही प्रतिवादी संख्या 11 के वकील द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

लिहाजा वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ... को नया वाद प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुये उक्त ... पत्रावली इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.14 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना